05

आयोजनागत

सख्याः /XI/2011 - 56(8)/2009

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड पौडी।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून दिनांक, 31 अक्टूबर ,2011

विषय– उत्तराखण्ड सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम अनुश्रवण परिषद के मा0 उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने के फलस्वरूप अवस्थापना एवं प्रशासनिक व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके संख्याः 536/5–लेखा–60/सी0क्षे0वि0प्रा0–मा. उपा0–.10–11दिनॉक 04–8–2011 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्याः 399/XI/2010–56 (18)/2009 दिनांक 11 मार्च, 2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम अनुश्रवण परिषद के मा0 उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने के फलस्वरूप अवस्थापना एवं प्रशासनिक व्यय के लिये वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू0 11.40 लाख (रू0 इग्यारह लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि गोपन विभाग के आदेशों के अन्तर्गत अनुमन्यता के अनुसार देय मदों पर ही व्यय की जायेगी एवं मदवार फॉट आयुक्त, ग्राम्य विकास पौडी द्वारा अविलम्ब कर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नियमानुसार व्यय हेतु रखा जाना सुनिश्चित करेगें।
2. धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारणी बनाकर मदवार फांट कर ही किया जाय।
3. उक्त धनराशि को किसी भी दशा में व्यावर्तित नही किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि उन्ही कार्यो/प्रयोजनों पर ही व्यय की जायेगी जिनके लिये स्वीकृत की जा रही हैं । अवमुक्त की जा रही धनराशि से अधिक आहरण के लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
4. धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियम, उत्तराखण्ड प्रॉक्योरमेन्ट रूल्स,2008 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों/आदेशों का कडांई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और बी0एम0 13 पर नियमित रूप से सूचना प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध करायी जाय।

6. कोषागार को प्रस्तुत बिलों पर स्पष्ट रूप से लेखा शीर्षक के साथ संबंधित अनुदान सख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाय।

7. विभाग में स्वीकृतियों का रजिष्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति /व्यय सम्बन्धी सूचना अद्धावदिक करते हुये व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर शासन एवं महालेखाकार उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जाय।

8. निर्वतन पर रखी गयी धनराशि का उपयोग दिनॉक 31–3–2012 तक सुनिश्चित करते हुए अप्रयुक्त अवशेष धनराशि समयान्तर्गत समर्पित किया जाना की जाय ।

9. मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–7 के अधीन लेखा शीर्षक 3451– सचिवालय आर्थिक सेवाएं –092–अन्य कार्यालय– आयोजनागत –05– सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना –20 सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 584/XXVII (1)/2011 दिनांक 07 अक्टूबरे, 2011 द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्याः 1171 (1)/XI/2011 56(18) 2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस, सी–1,/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
2– महालेखाकार, (ए एण्ड ई), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर, रोड़, माजरा, देहरादून।
3– जिलाधिकारी पौढी/पिथौरागढ
4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय ।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, पौड़ी।
7– निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
9– निजी सचिव, मा0 मंत्री, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
10– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
अपर सचिव